FROM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 28)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

वादीः—
धर्मसिंह परिहार

बनाम

प्रतिवादीगणः—
लालसिंह वगै

अन्तर्गत धारा 88 188 राज. काश्तकारी अधि.

वाद संख्याः— 31/2026

जीसीएमएस नंबर .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
8/5/26	अधिवक्त वादी की ओर से वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की पुश्तैनी भूमि वाके ग्राम मालियान पटवार क्षेत्र सुरपुरा भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तह व जिला जोधपुर के खसरा सं. 21 रकबा 1.4569 हेक्ट. व खसरा सं. 27 रकबा 0.2185 हेक्ट. जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में बहैसियत सह खातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में लालसिंह की वंशावली वादपत्र के पैरा सं. 2 अनुसार है। वादग्रस्त कृषि भूमि का बापी पट्टा मांगीलाल, मूला बेटा देवा रा दर्ज होने के कारण वादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 फरमाई जावे प्रतिवादी सं. 1 बिना बंटवाडा किए किसी अन्य को बैचान हस्तांरण नहीं करें एवं वादी को उक्त संपत्ति से बेदखल नहीं करे। वादपत्र में वर्णित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र में वर्णित खसरान् की भूमियों के संबंध में राजस्व रेकर्ड का चैनलवार अवलोकन किया गया। वाद दर्ज करने से पूर्व न्यायालय के सामने यह प्रश्न है कि क्या उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक संपत्ति है या नहीं ? इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अध्ययन आवश्यक है — 1- Uttam v. Saubhag Singh & Ors. (2016) 4 SSC 68 (Supreme Court) इस निर्णय में माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी पिता या दादा को संपत्ति की धारा 8 HSA 1956 के अंतर्गत प्राप्त होती है, तो वह पैतृक न होकर व्यक्तिगत संपत्ति होती है। पोते या अन्य वंशजों को उसमें पिता/दादा के जीवन काल में कोई सहभाजक अधिकार प्राप्त नहीं होता है और व बंटवारे की मांग भी नहीं कर सकते हैं। वादी का अपने वाद पत्र के पैरा सं. 2 में यह स्वीकृत कथन है कि स्वर्गीय मांगीलाल वादी के दादा थे एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात् जरिए फौतेदगी नामा. वादी के पिता लालसिंह एवं उनके भाई	

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

हिम्मतसिंह के नाम दर्ज हुई है।

2- Commisiojner of Wealth Tax, kanpur and others vS c4hander sen and others (1986) 3 SSC 567, Supreme Court) इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया कि पिता से पुत्र को धारा 8 के अंतर्गत जो संपत्ति मिलती है वह पैतृक न होकर पुत्र की व्यक्तिगत संपत्ति होती है भले ही उसका संयुक्त रूप से प्रबंधन किया जाए।

उक्त प्रकरण में मामले के तथ्यों एवं उपरोक्त न्यायिक उद्धरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 यानी वादी के पिता को उसके पिता से जरिए फौतेदगी नामा. धारा 8 HSA 1956 के अंतर्गत प्राप्त हुई है। ऐसी संपत्ति पैतृक न होकर प्रतिवादी सं. 1 की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है। वादी द्वारा किया गया वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधि एवं न्यायालय के दृष्टांतो के आधार पर पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण आगे चलने याग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जोधपुर (उत्तर)